राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2256670

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/ दिनांक :–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा–निर्देश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा–2026 (सत्र 2025–26में आयोजित परीक्षायें) उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र निम्नानुसार भरे जायेंगेः–

1. समस्त स्नातक सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2025 व मई–2026 (**NEP 2020**) स्नातक वार्षिक परीक्षा–2026, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक सेमेस्टर दिसम्बर–2025 व मई–2026 एवं वार्षिक पद्धति आधारित परीक्षा–2026 की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र वेबसाईट **www.univraj.org** पर **Revaluation Portal** तथा **www.erp.univraj.org** के माध्यम से भरे जायेंगे।

2. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को स्वयं की फोटो आई.डी. व परीक्षा प्रवेश–पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य हैं।

3. **शुल्कः–** सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु, निर्धारित रूपये 90/– प्रति उत्तरपुस्तिका जो चालान पर अंकित होगा।

4. **अन्तिम तिथिः–** विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस तक ही उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् संबंधित वेबसाईट स्वतः बन्द हो जायेगी।

5. **आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा कराने की प्रक्रियाः–** परीक्षार्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क **Online Payment Gateway** माध्यम से जमा करना होगा। शुल्क एवं आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(अ) सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट **www.univraj.org पर Visit** कर अपनी कक्षा से संबंधित ऑनलाईन आवेदन पत्र मुख्य परीक्षा के अनुक्रमांक से भरेंगे।

(ब) परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क **Online Payment Gateway** क्रेडिट, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, तत्पश्चात् आवेदन पत्र का दो प्रतियों में प्रिंट प्राप्त कर ले। आवेदन फॉर्म की दोनो प्रतियां एवं शुल्क जमा की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

(स) एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में शुल्क वापस देय नही होगा।

नोटः– सूचित किया जाता हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पश्चात् परीक्षार्थी आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को अपने पास सुरक्षित रखें तथा विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के नियम

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.univraj.org** पर **Revaluation Portal** तथा **www.erp.univraj.org** पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

2. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ शुल्क 90/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका ऑनलाईन जमा कराना होगा।

3. परीक्षार्थी स्वयं की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं, जो कि स्वयं की ई–मेल पर ही भेजी जावेगी। अतः परीक्षार्थी अपना ई–मेल पता उचित प्रकार से व सही अंकित करें।

4. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में ऑनलाईन आवेदन कर सकता हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। **साथ ही पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों का उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही प्रदान की जायेंगी।**

5. परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई उत्तरपुस्तिका के सम्बन्ध में परीक्षार्थी द्वारा की गई किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट व गलत जानकारी देने पर उसका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। गलत जानकारी देने की स्थिति में परीक्षार्थी पर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2256670

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/765–74 दिनांक :– 17.4.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1 समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, जयपुर।

2 वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बैंक द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खाते में जमा करवा दी गई हैं एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcillation करवाना सुनिश्चित करें।

3 निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करें।

4 जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि. जयपुर ।

5 निजी सचिव, कुलगुरु / कुलसचिव, रा.वि.वि. जयपुर।

6 समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

7 संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त दिशा–निर्देश को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र पोर्टल पर प्रसारित करें।

8 रक्षित पत्रावली।

सहायक–कुलसचिव
(पुनर्मूल्यांकन)